न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 37/2014 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2014/00023

उनवान

1. दीवान सिंह
2. राजेन्द्र सिंह } पिसरान बाबू सिंह जातियान ठाकुर निवासी बरवार तहसील रूपवास जिला भरतपुर
3. रामवीर सिंह
4. देवेन्द्र सिंह } पुत्रगण रन सिंह
5. सुनील

.....अपीलांट।

बनाम

1. शेर सिंह मुतबन्ना श्री देवी जाति ठाकुर निवासी बरवार तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पोंडेंट।

3. वीरेन्द्र सिंह पुत्र रन सिंह जाति ठाकुर निवासी बरवार तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 01.10.2014 उनवानी शेर सिंह बनाम दीवान सिंह मु0न0 283/13

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 09.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 01.10.2014 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् रिसीवरी दफा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण इस आशय का पेश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम बरबार तहसील रूपवास में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण को उक्त विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दिनांक 01.08.2013 के द्वारा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हुआ है। परन्तु अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण बाबजूद स्थगन आदेश विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति में परिवर्तन करने हेतु आमदा हैं। रैस्पो0/प्रार्थी ने इस बाबत् पुलिस थाना रूपवास पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। दिनांक 08.12.2013 को अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण ने खुले आम धमकी दी कि वह रैस्पो0/प्रार्थी की बोई हुई फसल को काटकर रहेंगें। यदि अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो प्रार्थी/रैस्पो0 को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं हो पायेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर रिसीवरी नियुक्त किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये विवादित आराजी पर तहसीलदार रूपवास को रिसीवर नियुक्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रिसीवर एक कठोरतम प्रक्रिया है जबकि उक्त प्रकरण में रिसीवर नियुक्त करने का भी कोई विधिसम्मत आधार उपलब्ध नहीं है। रैस्पो0 जिस गोदनामा/वसीयत के आधार पर आया है वह विवादित है, जो कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश रूपवास के समक्ष विचाराधीन है व उसको शून्य करवाने की कार्यवाही विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में रैस्पो0 के खातेदारी अधिकार संदेह के दायरे में आते हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय फिर भी विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त करने के आदेश पारित करने में भूल की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी पर रैस्पों0 का ना तो कब्जा काश्त है एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान् में कभी झगडा/मारपीट अथवा पुलिस प्राथमिकी दर्ज हुयी हो। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र रैस्पो0 के कथनों पर विश्वास करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी पर आये दिन झगडे होते हैं जिसका उपचार रिसीवर ही है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी को इनमीडियो मानते हुये तहसीलदार रूपवास को रिसीवर नियुक्त करने के जो आदेश दिये हैं वह विधिवत व न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी बाबत् पक्षकारों में कभी भौतिक रूप से झगडा/कहासुनी अथवा प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज हुई हो एवं ना ही विवादित आराजी में दोनों पक्षो में से किसी भी पक्ष का विधिक एवं निर्विवाद कब्जा स्पष्ट बताने वाले दस्तावेज यथा खसरा गिरदावरी, मौका रिपोर्ट आदि ही पत्रावली में उपलब्ध हैं। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विवादग्रस्त आराजी इन मीडियो हो गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र रैस्पो0 के मौखिक कथनों पर विश्वास करते हुये विवादित भूमि पर रिसीवर कायम किये जाने के आदेश पारित किये हैं। भूमि बाबत् विवाद होने का आशय मौखिक कथनों से नही लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में विवादित भूमि किस प्रकार इन मीडियो है, एवं रिसीवर नियुक्त करने के लिए उपयुक्त प्रकरण है का कोई विवेचन अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं किया है। हमारी राय में रिसीवर नियुक्ति की कार्यवाही एक कठोरतम उपाय है जिसे साधारण परिस्थिति में किसी काबिज काश्तकार के विरूद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 01.10.2014 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। साथ ही पक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.05.2019 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होंवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 09.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official